



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

दिनांक: 12-09-2023

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, LUCKNOW INSTITUTE OF PHARMACY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

सर्कारी,
उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: प्रविश/परिषद/सम्बद्धता/2022/0795

लखनऊ दिनांक: 20/09/2022

:-सर्कारीय श्राव:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यो की कायदमित और इतिहास, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा सर्गीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किने जाने के उपरान्त प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता शर्तियों की बैठक संचाल हुई। बैठक में शर्तियों द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आर्गेंटिन नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से सराफित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार- पाठ्यक्रम- प्रवेश क्षमता इतिहास अलग सटी पर विचार कराते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता- सम्बद्धता विस्तार प्रदान किने जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता शर्तियों की बैठक में शिने गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अर्धीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता- सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2776-LUCKNOW INSTITUTE OF PHARMACY

क्र.सं.	सम्बद्धता का नाम	ए०आई०टी०ई०/पी०आई०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०टी०ई०/पी०आई०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेक्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों को अनुपालन करेगी तथा सुक निर्धारित शर्तियों द्वारा निर्धारित सुक और शर्तों हेतु पाठ्यक्रमों हेतु स० 20150-00/- प्रतिवर्ष, 10 शर्तों कार्यो की पाठ्यक्रम हेतु स०- 45000-00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्र 10 शर्तों पाठ्यक्रमों (10 शर्तों कार्यो की पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु स०-22500-00/- प्रतिवर्ष सुक ही प्रत्येक सत्र/सत्र से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सत्र/सत्रों से सुक के सम्बन्ध में समय-समय पर सल्लाह द्वारा निर्मित किने जाने वाले आदेशों का पालन होगा, और अनुसार कार्यो की किया जाय आवश्यक होगा। फीज निर्धारित शर्तियों द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फीज का पूर्णनिर्धारण किया जाय है, तो फीज की गरीबता दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में सुक प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आर्गेंटिन शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित आदेशों के अनुसार निर्देश एवं सम्बद्धता सुक प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सल्लाह द्वारा निर्मित विनियमों-अतिरिक्त-आदेशों/शर्तों/शर्तों एवं निर्देश, प्रौद्योगिकी शिक्षा, 2000, सुक परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा कराते गये निर्णय, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करेने के शिने बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संसद का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संसद उत्तरदायित्व संसदा का होगा और विधिक अर्थ से किसी भी कार्यवाही के लिए संसद स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कदम चलाया गया है तो वह चलाए गए कदम के संबंध में वा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश नहीं किया जाता है तो संसद प्रतिक्रिया संबंधित संसदा को करनी होगी।
- ✓ संसदों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनित कार्यवाहियों पराम होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाहियों को उपलब्ध कराया होगा अर्थात् उन्हें प्रवेश की (कार्यालयों के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्दिष्ट नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करवाया जाएगा।
- ✓ संसदा को अपने वेबसाइट पर संसदा की संसदा सुनवाई जैसे संसदा की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, सदन-सभा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुद्रक, आरक्षण मुद्रक आदि का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
- ✓ संसदा को शिक्षा-विभाग हेतु उपलब्ध आरक्षण उपलब्ध कराने के साथ वैशेषी टोकने के माध्यम से संसदा आवश्यक आरक्षण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संसदा को सुनिश्चित हो कि संसदा में प्रस्तावित/संबंधित चरणक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समक्ष उपलब्ध कराए गए अधिलेख, भूमि-भवन, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संसदा द्वारा किसी अन्य चरणक्रम के संसदान में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संसदा उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संसदा संसदा की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संसदा के ओवरलैप निर्देशन के दौरान यदि संसदा में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सदन-सभा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के माध्यम/द्वारा उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संसदा की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा नहीं का अनुपालन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुमानित/समाप्त कार्यवाही की जाएगी।


(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

सचिव

ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद/सम्बद्धता/2022/8766-8924

दिनांक: 20/09/2022

प्रतिक्रिया-

ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०, LUCKNOW INSTITUTE OF PHARMACY


(ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

सचिव

आचार्य**शिवि, पब्लिक विल परिषद****उत्तर प्रदेश सरकार**

संस्था- पब्लिकपरिषद सम्बन्धित/2021/3537

संस्था: दिनांक: 09/08/2021

आचार्य सार:

अधिस आचार्य (सम्बन्धी विल परिषद, नई दिल्ली) कार्यवाही अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत, नई दिल्ली द्वारा संशोधित वर्ष 2021-22 हेतु विद्यमान भारतीय (सम्बन्धी विल संस्थाओं) को अनुमति देकर किए जाने के अन्तर्गत पब्लिक विल परिषद, 3000 संस्थाओं से सम्बन्धित सम्बन्धित विवरण देकर किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद आचार्य से सम्बन्धित समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमति नई संस्थाओं को सम्बन्धित एवं से अनुमति संस्थाओं को सम्बन्धित विवरण/ चरणक्रम: उक्त संस्था सूची अतिरिक्त अन्य सूची पर विचार करने हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बन्धित सम्बन्धित विवरण देकर किने जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बन्धित समिति की बैठक में विवेक से विवेक के अनुकूल में विल संस्था को पब्लिक विल परिषद, 3000 संस्थाओं द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमति देकर के अन्तर्गत चरणक्रम एवं उक्त अधिस उक्त संस्था हेतु सम्बन्धित विवरण देकर की जाती है:-

संस्था का बंध एवं नाम : 2775-LUCKNOW INSTITUTE OF PHARMACY, SULTANPUR ROAD, LUCKNOW.

संस्था	चरणक्रम का नाम	संस्थाओं/संस्थाओं/ संस्थाओं/ संस्थाओं द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमति प्रेष संख्या	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमति प्रेष संख्या
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बन्धित हेतु सूची

- ✓ संस्था संस्थाओं/संस्थाओं/ संस्थाओं/ संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गयी सभी सूची का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उक्त उक्त पब्लिक विल परिषद एवं 1962 तथा पब्लिक विल परिषद विनियमों/ 1962, सेक्टर विनियमों/2016 तथा अन्य विनियमों/ 1962 एवं उक्त के अनुकूल करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों/ 1000 चरणक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों/ 1000 चरणक्रमों हेतु ₹0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष/ 1000 चरणक्रमों (दो वर्षों/ 1000 चरणक्रमों के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही चरणक्रम/ 1000 से प्राप्त किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त चरणक्रमों से शुल्क के सम्बन्ध में सार्व-सार्व पर सार्व द्वारा निर्धारित किने जाने वाले सम्बन्धित प्रकृति होने, और तदनुसार कार्यवाही

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक,LUCKNOW INSTITUTE OF PHARMACY, SULTANPUR ROAD, LUCKNOW.



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव